कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

(जिला राजस्व शाखा)

e-mail ID – acgarhwa2010@gmail.com ac-garhwa@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक ..../रा0,

प्रेषक,

उपायुक्त,
गढ़वा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
गढ़वा,

गढ़वा, दिनांक ....

विषय :– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत शेष भूमि के हस्तांतरण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा का पत्रांक 1122, दिनांक 03.09.2021 एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक 1710, दिनांक 14.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना अंतर्गत अधियाचित रकबा–2.95 एकड़ में से पूर्व से हस्तांतरित भूमि रकबा–2.00 एकड़ (मौजा–सोनपुरवा, खाता सं0–40, प्लॉट सं0–163) भूमि अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है तथा शेष रकबा–0.95 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा द्वारा अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि विषयांकित योजना के निमित इस कार्यालय का पत्रांक 1983/रा0, दिनांक 10.07.2017 के द्वारा मौजा–सोनपुरवा के खाता सं0–40, प्लॉट सं0–163 में रकबा–2.00 एकड़ भूमि का अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जा चुका है।

अतः प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि विषयांकित मामले में शेष वांछित रकबा–0.95 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु उचित माध्यम से भूमि हस्तांतरण अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
उपायुक्त,
गढ़वा।

ज्ञापांक 963/रा0, दिनांक 21.09.2021

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
गढ़वा।

समाहरणालय, गढ़वा

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा०, दिनांक ..../............../2021

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पोस्ट–हिनू, राँची।

विषय :– मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक–04.10.2016 के मद संख्या–02 में लिये गये निर्णय (विभागीय संकल्प संख्या–5504/रा०, दिनांक–07.10.2016) के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु अंचल–गढ़वा के मौजा–सोनपुरवा के निम्नांकित विवरण (खाता, प्लॉट एवं रकबा) की भूमि का **सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक–1710, दिनांक–14.07.2021** द्वारा की गयी अधियाचना के क्रम में अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण।

हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	किस्म भूमि
1	2	3	4	5	6
सोनपुरवा	242	40	163	0.80	गै०मा० परती कदीम
			कुल रकबा :–	0.80	

आदेश : **स्वीकृत।**

1. इस शर्त्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. संबंधित विभाग के द्वारा छः माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।
3. विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि किसी संस्थान/कम्पनी/व्यक्ति/कॉरपोरेट सोसायटी/निजी व्यक्ति को हस्तान्तरित अथवा लीज पर नहीं दी जायेगी।
4. अन्य सभी शर्त्ते "इस्टेट मैनुउल" में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

ह०/–
उपायुक्त,
गढ़वा।

ज्ञापांक 1234/रा०, दिनांक 07/12/2021

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को विषयांकित पत्र के संदर्भ में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा को उनके पत्रांक–939, दिनांक–23.07.2021 तथा पत्रांक–1122, दिनांक–03.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गढ़वा को मूल अभिलेख संख्या–08/2021–22 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner